-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 08.04.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कालिंजर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चोरी, लूट, टप्पेबाजी और नकबजनी आदि घटनाओं को अंजाम देने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह "ईरानी गैंग" के सदस्य को किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त की निशांदेही पर लगभग 09 लाख रुपए के चोरी के आभूषण बरामद ।**
- **अभियुक्त द्वारा दिनांक 05.01.2026 को अपने साथियों के साथ कस्बा कालिंजर में सर्राफा दुकान पर टप्पेबाजी कर जेवरात चोरी की घटना को दिया गया था अंजाम ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नरैनी श्री कृष्णकांत त्रिपाठी के नेतृत्व में आज दिनांक 08.04.2025 को थाना कालिंजर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चोरी, लूट, टप्पेबाजी और नकबजनी आदि घटनाओं को अंजाम देने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह "ईरानी गैंग" के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 05.01.2026 को थाना कालिंजर के रहने वाले ब्रजनन्दन द्वारा थाना कालिंजर पर सूचना दी गई कि उनकी सरार्फ की दुकान पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सोने के गहने दिखाने को कहा और एक पीस खरीदने का बहाना कर बातों में उलझाकर काउंटर पर रखे डिब्बे से सोने के जेवरात चोरी कर भाग गए । सूचना पर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कालिंजर पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व शीघ्र गिरफ्तारी हेतु कई टीमों को लगाया था । वैज्ञानिक एवं तकनीकि माध्यमों से जांच एवं "ऑपरेशन त्रिनेत्र" के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों आदि के माध्यम से अभियुक्तों की पहचान की गई । जिसके क्रम में पुलिस द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति खानू हुसैन पुत्र फरजन्द अली निवासी ग्राम बुरहार जनपद शहडोल (म0प्र0) को हिरासत में लेकर पूछताछ हेतु थाना लाया गया था । कड़ाई से पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वह अपने अन्य साथियों जुबेर अहमद, तकवीर खान एवं सरताज अली उर्फ तरू के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में विभिन्न जनपदों व राज्यों में ज्वैलर्स की दुकानों को निशाना बनाकर चोरी/टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देता है और दिनांक 05.01.2026 को अपने अन्य साथियों के साथ कस्बा कालिंजर में एक सर्राफा दुकान पर टप्पेबाजी कर जेवरात चोरी किया था एवं घटना के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा पीछा किए जाने पर अभियुक्तों द्वारा चोरी किए गए जेवरात को कालिंजर से आगे एक मंदिर के पीछे जमीन में छिपा दिया गया था, जिसे बाद में लेने की योजना थी । पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि गिरोह का एक सदस्य जुबेर अहमद वर्तमान में भोपाल पुलिस द्वारा जेल भेजा जा चुका है तथा अन्य साथी तकवीर खान व सरताज उर्फ तरू फरार हैं । इसी कारण ये लोग यहाँ से चोरी का माल नही ले जा पाये थे । अभियुक्त की निशांदेही पर पर्यटक ढाबा के आगे दुर्गा माता मंदिर के पीछे से भारी मात्रा में चोरी के पीली धातु के आभूषण बरामद किए गए । गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहें हैं व आपराधिक गतिविधियों की जांच की जा रही है ।

बरामदगी-

- 06 गले का मंगलसूत्र लॉकेट (पीली धातु)
- 06 गले की मंखी (पीली धातु)
- 02 नाक की नथ बेसर (पीली धातु)
- 07 जोड़ी कान की बाली (पीली धातु)
- 03 जोड़ी कान की बाली कांटा (पीली धातु)
- 01 जोड़ी कान की बिजली टाप्स (पीली धातु)
- 01 जोड़ी गले की बच्चों वाली चांद (पीली धातु)
- 02 गले की हाय (पीली धातु)
- 27 गले की मंचली लॉकेट (पीली धातु)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. खानू हुसैन ईरानी पुत्र फरजन्द अली नि0 टिकरी टोला थाना बुरहार जनपद शहडोल (म0प्र0)

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 04/26 धारा 305(ए)/318(4)/317(2)/11(4) बीएनएस थाना कालिंजर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 कालिंजर श्री सुखराम
2. प्रभारी एसओजी श्री आनन्द कुमार
3. उ0नि0 रणजीत बहादुर
4. उ0नि0 प्रदीप कुमार सोनी
5. हे0कां0 अश्वनी कुमार
6. कां0 अंकित मलिक
7. कां0 अमित त्रिपाठी
8. कां0 प्रतीक यादव